

—::कार्यालय आदेश::—

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में निम्न लिखित कर्मचारियों का जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के नियम 8 (सी) में वर्णित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, को निम्नांकित शर्तों के आधार पर सातवां प्रशिक्षण बैच दिनांक 04.04.11 से आरम्भ किया जा रहा है। अतः निम्न कर्मचारियों को तीन माह का पीएफए का प्रशिक्षण हेतु आरएफपीटीसी हीरा बाग जयपुर में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

1. यह कि 10/- रू० स्टॉम्प पेपर पर प्रशिक्षणार्थी का यह शपथ पत्र कि इस प्रशिक्षण से खाद्य निरीक्षक के पद पर नियुक्ति का कोई संबंध नहीं होगा, और इस प्रद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होगा।
2. प्रशिक्षण के लिए स्टेडी लीव स्वीकृत करवानी होगी।
3. यह कि यह प्रशिक्षण आप को स्वयं के खर्च पर करना होगा, जिसका शुल्क लगभग 7500/-रू० (अक्षरे सात हजार पांच सौ रूपये मात्र) रखा गया है।
4. प्रशिक्षण शुल्क पीएफए अनुभाग निदेशालय मुख्यालय में जमा करायेगें।

क०सं०	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1.	सचिन श्रीवास्तव	क० लिपिक	पीएचसी रानोली सीकर
2.	राजू सिंह	लैब टेक्नीशियन	जनाना अस्पताल अजमेर
3.	प्रकाश चन्द्र	क० लिपिक	आरसीएचओ सीकर
4.	नौरंग लाल	मेल नर्स-2	सीएचसी नीमका थाना अलवर
5.	यशवन्त कुमार राठौड	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी बपावरकला कोटा
6.	जगदीश प्रसाद कुमावत	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी सैक्टर नम्बर 8 मानसरोवर जयपुर
7.	सुरेश चन्द शर्मा	मेलनर्स-2	पीएचसी बाप सीकर
8.	कुलछत्र	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी परलिका हनमानगढ
9.	शंकर लाल बैरवा	लैब टेक्नीशियन	सीएचसी निवाई टोक
10.	रोशन लाल यादव	लैब टेक्नीशियन	सीएचसी पावटा जयपुर
11.	वीरनारायण सिंह	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी धनपुर
12.	महावीर प्रसाद विजयवर्गीय	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी पारा अजमेर
13.	गिरधारी राम चौधरी	मेलनर्स-2	उप केन्द्र डण्डाली, बाडमेर
14.	शेखरचन्द्र कांडपाल	क० लिपिक	सीएमएचओ कार्यालय बीकानेर
15.	जगदीश प्रसाद गौतम	लैब टेक्नीशियन	एसएमएस अस्पताल जयपुर
16.	महेश पाटनी	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी भिजानिया, भीलवाडा
17.	अवधेश डांस	लैब टेक्नीशियन	केन्द्रीय काराग्रह अस्पताल जयपुर
18.	रामअवतार शर्मा	मेलनर्स-2	सीएचसी आंधी जयपुर
19.	मोहनलाल सैनी	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी सामोद जयपुर
20.	अमित शर्मा	लैब टेक्नीशियन	जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर
21.	अजय कुमार दीक्षित	मेलनर्स-2	सीएचसी जमवारामगढ जयपुर
22.	राकेश गोदारा	मेलनर्स-2	पीएचसी गंगुवाला श्रीगंगानगर
23.	रमेश चन्द यादव	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी राजनोता जयपुर
24.	पवन कुमार	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी कल्याणपुर कोटपूतली जयपुर
25.	गणपत राम	मेलनर्स-2	सीएचसी खण्डेला सीकर
26.	सुशील कुमार गिदवानी	लैब टेक्नीशियन	रा० चि० निवाई टोक
27.	रमेश चन्द तोतला	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी राजियावास अजमेर
28.	अशोक कुमार	नर्स ग्रेड-2	सीएचसी श्रीकरणपुर गंगानगर
29.	सागर मल	मेलनर्स-2	पीएचसी जोरावर नगर सीकर
30.	ईकबाल सिंह	नर्स ग्रेड-2	सीएचसी श्रीकरणपुर गंगानगर

31.	मदन लाल नेहरा	मेलनर्स-2	पीएचसी राजलदेसर, चूरु
32.	सुदेश गर्ग	लैब टेक्नीशियन	कुष्ठ रोग नियंत्रण ईकाई गंगानगर
33.	बजरंग सिंह गुढानिया	नेत्र सहायक	सीएचसी सांखू
34.	जगदीश प्रसाद वर्मा	नेत्र सहायक	सीएचसी रतनगढ़
35.	प्रदीप जोशी	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी बसवा दौसा
36.	लेखराज शर्मा	लैब टेक्नीशियन	जे0के0 लोन अस्पताल जयपुर
37.	दीपक जोशी	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी साईवाड जयपुर-द्वितीय
38.	सुरेन्द्र कुमार	लैब टेक्नीशियन	पीबीएम अस्पताल बीकानेर
39.	राजेन्द्र कुमार गुप्ता	एनएमएस	कुष्ठ रोग अनुभाग निदेशालय
40.	प्रकाश चन्द मीणा	लैब टेक्नीशियन	पीएचसी बडवा जयपुर
41.	गोवर्धन ख्यालिया	मेलनर्स-2	एडपोस्ट दूढलोत झंझुनू
42.	पुरुषोत्तम दास जोशी	मेलनर्स-2	राजकीय चिकित्सालय बाडमेर
43.	महेन्द्र सिंह	लैब टेक्नीशियन	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर
44.	सुरेश चन्द्र माली	लैब टेक्नीशियन	सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर
45.	सुनील पामेचा	लैब टेक्नीशियन	जिला क्षय निवारण केन्द्र उदयपुर

नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि उक्त उल्लेखित नामों में निविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर कार्यरत कर्मचारी को इस प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एच/पीएफए/2011/230

दिनांक 3/3-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महा निदेशक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. अधीक्षक सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0 स्वा0) मुख्यालय।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, (ग्रा. स्वा0) मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
8. प्रधानाचार्य आरएफपीटीसी हीरा बाग जयपुर को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण हेतु स्थान उपलब्ध करावे।।
9. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी..... को भेजकर लेख है कि कर्मचारी से स्टेडी लीव हेतु आवेदन प्राप्त करने के पश्चात कार्यमुक्त करें।
11. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी..... को भेजकर लेख है कि कर्मचारी से स्टेडी लीव हेतु आवेदन प्राप्त करने के पश्चात कार्यमुक्त करें।
12. संबंधित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां तथा शपथ पत्र एवं निर्धारित शुल्क तथा विभाग में नियमित नियुक्ति का प्रमाण-पत्र दिनांक 01.04.2011 तक पीएफए अनुभाग निदेशालय मुख्यालय में जमा कराने के पश्चात ही प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा।
13. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर